

**भारत सरकार**  
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**  
**पशुपालन और डेयरी विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 427**  
**दिनांक 20 जुलाई, 2021 के लिए प्रश्न**

**पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन का विकास**

**427. कुमारी राम्या हरिदास:**

**श्री जी.एम.सिद्देश्वर:**

क्या **मत्स्यपालन और पशुपालन डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा देश में पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन के विकास के लिए कौन-सी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;
- (ख) इन योजनाओं से अब तक कुल कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;
- (ग) क्या सरकार पशुपालन क्षेत्र में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी परियोजनाओं के संबंध में कुछ राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और
- (ङ.) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है?

**उत्तर**  
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री**  
**(डॉ.संजीव कुमार बालियान)**

(क) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में पशुपालन, डेयरी तथा पोल्ट्री के विकास हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- I. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)
  - II. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)
  - III. राष्ट्रीय डेयरी योजना-1 (एनडीपी-1) (इस योजना को 29 नवम्बर, 2019 को समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 2019-20 के दौरान कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई थी।)
  - IV. डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) (वर्ष 2020-21 से बंद)
  - V. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)
  - VI. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता (एसडीसी एवं एफपीओ)
  - VII. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)
  - VIII. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)
  - IX. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एलएचएवंडीसी)
  - X. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)
- (ख) राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाभार्थी उन्मुख योजना नहीं है। तथापि, दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के रूप में गोपशु और भैसों के पालन में लगे सभी किसानों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है।

एनपीडीडी के अंतर्गत, कुल 3,65,475 दुग्ध उत्पादकों को कवर किया गया है। एनडीपी-1 के तहत, 16.88 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को बाजार तक पहुंच प्रदान की गई थी। कुल मिलाकर, परियोजना के

अन्तर्गत 97,000 गांवों के लगभग 59 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया। डीईडीएस के तहत 1892.28 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि के साथ 4,21,157 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है।

एनएलएम के अन्तर्गत, कुक्कुट विकास के घटकों के तहत 47,550 किसानों को लाभान्वित किया गया है और हाथ तथा बिजली से चलने वाले भूसा कटर तथा सीलेज बनाने वाली इकाइयों के वितरण के घटकों के तहत 72,175 किसानों को लाभान्वित किया गया है। ग्रामीण घरेलू भेड़ और बकरी विकास के तहत लाभार्थियों की संख्या 33,370 है। ग्रामीण घरेलू सूअर पालन विकास के तहत लाभार्थियों की संख्या 18,853 है। पशुधन बीमा के तहत 28,34,308 किसानों को लाभान्वित किया गया है और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के तहत 3,72,018 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

एनएडीसीपी कार्यक्रम के तहत खुरपका और मुंहपका रोग के लिए पशुधन के टीकाकरण से लगभग 4.03 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार एफएमडी के लिए अब तक 16.91 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है।

(ग) जी, नहीं। विगत 6 वर्षों के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन 6.28% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2021 के अनुसार, वर्ष 2019-20 में दूध के उत्पादन का मूल्य 8.39 लाख करोड़ रूपए (वर्तमान कीमतों पर) है, जो अनाज के उत्पादन के कुल मूल्य से अधिक है।

(घ) और (ड.) जी, हां। इन योजनाओं के तहत सरकार को पशुपालन और डेयरी परियोजनाओं के संबंध में राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होता है। विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को आवंटित और जारी की गई निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आवंटित/जारी निधि					
		2019-20		2020-21		2021-22 (जून, 2021 तक)	
		आवंटित	जारी	आवंटित	जारी	आवंटित	जारी
1.	आरजीएम	270.00	269.73	400.00	399.90	502.00	64.02
2.	एनपीडीडी	325.00	266.17	300.00	285.86	255.00	30.79
3.	एनएलएम*	373.27	398.74	-	415.49	-	165.93
4.	एलएच एवं डीसी	456.93	334.18	435.89	247.37	370.00	52.67
5.	एनएडीसीपी	500.00	811.02	1300.00	858.00	1470.00	54.38

\* वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया था।

### डेयरी उद्यमिता विकास योजना

(रुपए लाख में)

2019-20		2020-21*	
इकाइयां	राशि	इकाइयां	राशि
28708	18319.07	23060	13783.94

\*वर्ष 2020-21 के तहत दर्शाई गई इकाइयां वर्ष 2019-20 की इकाइयां हैं, किन्तु कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण इन इकाइयों के लिए सब्सिडी वित्त वर्ष 2020-21 में जारी की गई थी और नाबार्ड ने जून, 2020 में एनश्योर पोर्टल पर विवरण अपलोड किया।

डीआईडीएफ के तहत दिनांक 31.05.2021 तक ऋण का वर्ष-वार वितरण

(रुपए करोड़ में)

परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत		वितरित ऋण			
	कुल	ऋण	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
40	4957	3381	466	227	25.34	1157

\*\*\*\*